[26/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2708]

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2708

भोपाल जिलांतर्गत निम्नांकित अध्यापक संवर्ग के शिक्षक जिनका निधन दिनांक 01.07.2018 के पूर्व हुआ है, उनके परिवार के सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की गई है–

क्र	दिवंगत लोकसेवक का नाम व पद	मृत्यु दिनांक	आवेदक का नाम एवं दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध	नियुक्ति का पद	नियुक्ति दिनांक	संस्था का नाम
1	स्व.श्री शैलेन्द्र सक्सेना, सहायक अध्यापक	08.03.15	श्रीमती मीना सक्सेना (पत्नि)	प्रयोगशाला शिक्षक	11.07.2024	शाउमावि नज़ीराबाद
2	स्व. श्री लालमियां, सहायक अध्यापक	26.07.12	श्री जुबेर मियां (पुत्र)	प्रयोगशाला शिक्षक	25.06.2021	शा. हाई स्कूल मेघराकलां

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा–1)
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल (म.प्र.)

तुलसी नगर, जिला भोपाल दूरभाष क्र. 0755–2557523, 2557550,E-Mail – deobho-mp@nic.in

क्रमांक / विधि / स्था.4 / 2026 / 1501 भोपाल दिनांक 16/2/26

/ /आदेश/ /

श्री आदित्य अहिरवार पुत्र स्व. श्री अशोक अहिरवार, अध्यापक, शा.मा.शा.मूडला चट्टान, संकुल केन्द्र शाउमावि सोहाया, विकास खण्ड बैरसिया जिला भोपाल ने माननीय उच्च न्यायालय जबलुपर में दायर याचिका डब्लू.पी. 7294/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.10. 2025 की प्रति उपलब्ध कराते हुये प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की है, जिसका ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है–

In other words, the matter shall be decided in accordance wit the unamended provision of Rules of 2018 as they stood on the date petitioner attained age of 18 years, subject to the other terms and conditions as contained in the said Rules and in the policy for compassionate appointment. Let consideration be made within 60 days.

With the aforesaid observations, the petition stands disposed off.

माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के आयु 18 वर्ष पूर्ण करने के दिनांक को प्रचलित नियमों के प्रकाश में नियुक्ति दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में संलग्न कक्षा 10वीं की अंकसूची में याचिकाकर्ता की जन्म दिनांक 20.10.2000 अंकित है। जिसके अनुसार दिनांक 20.10.2018 को याचिकाकर्ता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होती है। याचिकाकर्ता के द्वारा दिनांक 20.10.2018 को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा याचिकाकर्ता के द्वारा वर्ष 2019 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है।

याचिकाकर्ता के द्वारा स्वंय की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने के 27 माह के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 05.02.2021 को संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया है। परीक्षणोपरांत श्री अहिरवार के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में पात्रता न होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र/20260–61 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा निराकरण किया गया। जिसके विरूद्ध संबंधित ने मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका डब्लू. पी. 15929/2024 दायर की गई थी। याचिका में पारित आदेश दिनांक 31.7.2024 के पालन में कार्यालयीन स्पीकिंग आदेश क्र/स्था.4/अनु.नियु/2024/11813 दिनांक 29.10.2024 जारी कर प्रकरण का निराकरण कर नस्तीबद्ध किया गया था।

अतः मान. उच्च न्यायालय जबलुपर में दायर याचिका डब्लू.पी. 7294/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 के पालनार्थ याचिकाकर्ता के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा प्रयोगशाला शिक्षक के पद नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता (गणित/विज्ञान विषय से कक्षा 12वीं/डी.एल.एड/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) न होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(एन.के. अहिरवार)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल (म.प्र.)

d:\march 2022\mahesh\e4\2026\e4 letter 2026.docx

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा–1)
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक / विधि / स्था.4 / 2026 / 1502 भोपाल दिनांक 16/2/26

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल।
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बैरसिया जिला भोपाल।
4. संकुल प्राचार्य शाउमावि सोहाया जिला भोपाल।
5. विधि कक्ष प्रभारी, कार्यालय स्थानीय।
6. सबंधित श्री आदित्य अहिरवार पुत्र स्व. श्री अशोक अहिरवार, मकान मंबर—04, वार्ड नंबर—07, शीतल नगर, बैरसिया जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा—1)
मंत्रालय, भोपाल